

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
संतोष मैन्शन, बी०-ब्लॉक, आर०पी०एस० विधि महाविद्यालय के निकट,
रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना-801503
(वेबसाइट- www.bpscc.bih.nic.in)

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में वर्ष 2018 में
अवर निरीक्षक उत्पाद (Excise Sub Inspector) के रिक्त पदों पर नियुक्ति
हेतु सूचना ।

ऑनलाईन (Online) आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की

तिथि-22.05.2018 (मंगलवार)

ऑनलाईन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम

तिथि-30.06.2018 (शनिवार)

विज्ञापन संख्या-02/2018

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में
अवर निरीक्षक उत्पाद (Excise Sub Inspector) के पद (वितनमान
9300-34800+ग्रेड पे 4200) की रिक्तियों की संख्या-126 (एक
सौ छब्बीस) है ।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-02/2018 यहाँ जारी
किया जा रहा है ।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 [बिहार अधिनियम
6,2016] तदनुसार विधि विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या
एल०जी०-01-07/2016/64-लेज, दिनांक 6 अप्रैल 2016 द्वारा राज्य सरकार बिहार
के अधीन समूह ग के गृह (आरक्षी) विभाग एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिए
शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों
के चयन हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का गठन किया गया है ।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार की गजट
संख्या-676 दिनांक 01 अगस्त, 2017 द्वारा अराजपत्रित उत्पाद कर्मियों के स्वीकृत
पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियमावली बनायी गयी है । नियमावली

की कंडिका-5 में सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता दी गयी है । कंडिका-5 में दिया गया है कि अवर निरीक्षक उत्पाद के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक योग्यता, उम्र सीमा, अन्य पात्रता मापदण्ड तथा चयन की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि बिहार पुलिस मैनुअल-1978 एवं गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना द्वारा किये गये अनुगामी संशोधनों में अवर निरीक्षक के लिए अंगीकृत किया गया है ।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, में अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

उक्त अधिसूचनाएँ आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं ।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा :- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा - प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

प्रारम्भिक परीक्षा - प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे । इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे । प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा । मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

मुख्य परीक्षा :- प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा । मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे ।

प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा ।

द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या- 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी ।

दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

मेधा सूची :- अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे । इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 33.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40 प्रतिशत होगा ।

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यर्थियों का दिनांक 01.01.2018 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2018 को) :-

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष ।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष ।
- (3) अनारक्षित (सामान्य) कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए ।

आरक्षण :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनु रूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सम्बन्धित अर्हताएँ लागू होंगी ।

उँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।
- (3) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम उँचाई 160 सेन्टीमीटर एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम ।

सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -
बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए -
बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
 (फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर
 होना अनिवार्य होगा) ।

शारीरिक दक्षता परीक्षा :- निम्नांकित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा ।

- (1) **दौड़ -**
पुरुषों के लिए -
 एक मील की दौड़ के लिए समय सीमा -
 6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)।
महिलाओं के लिए -
 एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा -
 6 मिनट (अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी)।
- (2) **उँची कूद -**
पुरुषों के लिए - न्यूनतम 4 (चार) फुट
महिलाओं के लिए - न्यूनतम 3 (तीन) फुट
- (3) **लंबी कूद -**
पुरुषों के लिए - न्यूनतम 12 (बारह) फुट
महिलाओं के लिए - न्यूनतम 9 (नौ) फुट
- (4) **गोला फेंक -**
पुरुषों के लिए - 16 पाउण्ड का गोला
 न्यूनतम 16 (सोलह) फुट फेंकना होगा ।
महिलाओं के लिए - 12 पाउण्ड का गोला
 न्यूनतम 10 (दस) फुट फेंकना होगा ।

सिवित :-

श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	
क्र०सं०	आरक्षण कोटि/संख्या	
उपलब्ध पद		
1.	अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	12 (बारह)
2.	अनुसूचित जाति (महिला)	8 (आठ)
3.	अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	01 (एक)
4.	अनुसूचित जनजाति (महिला)	00 (शून्य)
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)	13 (तेरह)
6.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	10 (दस)
7.	पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)	10 (दस)
8.	पिछड़ा वर्ग (महिला)	05 (पाँच)
9.	पिछड़े वर्ग की महिला (3%)	04 (चार)

10.	सामान्य वर्ग/अनारक्षित (पुरुष/महिला)	42 (बयालीस)
11.	सामान्य वर्ग/अनारक्षित (महिला)	21 (इक्कीस)
	कुल योग	126 (एक सौ छब्बीस)

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :-

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अर्थात् कुल 3 (तीन) पद आरक्षित हैं ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र :- अवर निरीक्षक उत्पाद के उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक-22.05.2018 (मंगलवार) से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति में आवेदन-पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 700/- (सात सौ) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 400/- (चार सौ) रुपये निर्धारित किया गया है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर दिये गए आवेदन-पत्र संबंधी लिंक (link) पर क्लिक करेंगे जिसके पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल लिया जाता है ।

पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश

पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट: एक वैध सक्रिय मोबाइल फोन क्रमांक और ई-मेल ID रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक, BPSSC अभ्यर्थी सेउसी मोबाइल क्रमांक/ई-मेल पते से संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है। BPSSC गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल क्रमांक या ई-मेल पता इनपुट (s) के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1: पंजीकरण प्रपत्र

(नोट: कृपया आवेदन फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें)

- (1) **आवेदक का नाम-** आवेदक का नाम 10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है।
- (2) **राष्ट्रीयता:** आवेदक अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय रूप में भरेगा, क्योंकि इस पद पर आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- (3) **मोबाइल क्रमांक:** वैध और सक्रिय मोबाइल क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि यह BPSSC से भावी संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाइल क्रमांक दर्ज करते हैं तो आप भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे और यदि BPSSC से सूचनाओं के दौरान किसी भी समय आपका मोबाइल क्रमांक काम नहीं कर रहा है तो BPSSC न तो उत्तरदायी होगा और न ही जिम्मेदार होगा। कोई भी आवेदक सिर्फ एक आवेदन-पत्र भर सकता है। एक मोबाइल क्रमांक से मात्र एक आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। अगर BPSSC को लगता है कि आपने विभिन्न मोबाइल क्रमांकों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद मोबाइल क्रमांक में बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) **ई-मेल ID:**पंजीकरण के लिए एक व्यक्तिगत ई-मेल ID अनिवार्य है। आप पत्राचार/संवाद के लिए इस ई-मेल पते का प्रयोग करेंगे क्योंकि BPSSC “एडमिट कार्ड डाउनलोड”, “चेक यूअर रिजल्ट” आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण संवाद भेजेगी। आप एक ई-मेल पते के साथ केवल एक आवेदन कर सकते हैं। यदि BPSSC को पता चलता है कि आपने अलग-अलग ईमेल पतों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद ई-मेल पते में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (5) **बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल):** यदि आप बिहार के निवासी हैं तो “हां” चुनें, अन्यथा “नहीं” चुनें। दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को “अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट” दिखाना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट का बदलना स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (6) **वर्ग:** आवेदक को अपने वर्ग का चयन करना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जैसे, सामान्य, EBC, BC, SC, ST। और EBC, BC, SC, ST से संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है, को सामान्य वर्ग के रूप में चयन करना चाहिए।** पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) **लिंग:** जो लागू हो (पुरुष या महिला)।
- (8) **जन्म तिथि:** जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए। यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (1 जनवरी 2018 को) निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए।

	Male		Female	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
General	20	37	20	40
BC/EBC	20	40	20	40
SC/ST	20	42	20	42

(Note: Applicants, who are not a resident of Bihar State, must select the category as General)

नोट: प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद, पूर्ण विवरण दिखाया जाएगा। भुगतान करने से पहले, आवेदक “Edit Details” बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार भुगतान करने के बाद, आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकते।

2: भुगतान करें:

- (1) पंजीकरण पूरा करने के बाद, आपको नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क और बैंक के देय लेनदेन शुल्क लागू होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिखाए जाएंगे।

आवेदन शुल्क निम्न है :

	पुरुष	महिला
सामान्य	700	700
BC/EBC	700	700
SC/ST	400	400

- (2) सफल भुगतान के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर पंजीकरण ID के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी, जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भों के लिए करेंगे।
- (3) आवेदक को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल पंजीकरण संख्या के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए।
- (4) किसी भी मामले में, सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (5) Submit करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए।
- (6) अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है, तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद लौटा दी जाएगी। BPSSC किसी भी प्रकार के मुद्दों या देय तिथि से पहले फॉर्म भरने में आवेदक की वजह से होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले ही आवेदन सुनिश्चित कर लें ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

3: पंजीकरण रद्दीकरण

- (1) यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक पंजीकरण को रद्द कर सकता है और वह फिर से पंजीकरण कर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।
- (2) पंजीकरण रद्द करने के लिए दिशानिर्देश:

(i) पंजीकरण रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (<https://apply-bpssc.com>) और 'View Application Status' बटन पर क्लिक करें।

(ii) अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें।

(iii) 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Registration' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Registration' बटन पर क्लिक करना होगा।

(iv) क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।

(v) आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(vi) रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा।

(3) पंजीकरण रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल क्रमांक मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल क्रमांक के प्रयोग से फिर से पंजीकरण कर सके।

अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रपत्र के नीचे दी गई घोषणा के सामने बनाये गये चेक बॉक्स में सही (✓) का निशान लगाना अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए निर्देश:

निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन (वैकल्पिक)।
2. पते का विवरण (आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार)।
(करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)
3. आपका jpg या png प्रारूप में अपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो की एक स्कैन की गई प्रति चाहिए।

फोटो अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

- (a) पासपोर्ट साइज (3.5 cm x4.5 cm) का दो माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फोटो अपलोड करें।
- (b) फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
- (c) फोटो की साइज 25 केबी से कम होनी चाहिए।
- (d) फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

- (e) फोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला/रंगीन चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए।
- (f) सुनिश्चित करें कि आपने अपना फोटो अपलोड किया है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी **दोनों** में पेन ड्राइव या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखें। दोनों हस्ताक्षर काले स्थायी में सफेद कागज पर होंगे और साइज में प्रत्येक 25 केबी से कम होंगे। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करते हैं, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन-पत्र में भरने के विवरण (आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि: 30.06.2018):

(1) व्यक्तिगत विवरण:

- (a) पिता का नाम 10th/SSC/ मैट्रिक्यूलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को उपरोक्तानुसार अपने पिता के नाम के साथ-साथ दिए गए जगह में अपने पति का नाम भी लिखना होगा।
- (b) वैवाहिक स्थिति।
- (c) पहचान पत्र का प्रकार (सूची में दी गई), ID कार्ड नंबर आपके द्वारा चुने गए ID कार्ड प्रकार से मेल खाना चाहिए।
- (d) एक पहचान चिन्ह अनिवार्य है (उदाहरण: जैसे कि बाएं हाथ पर तिल)।
- (e) यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड हैं तो "Yes" का चयन करें अन्यथा "No" चुनें। यदि आप "Yes" का चयन कर रहे हैं तो आपको दिए गए विवरण भी भरने होंगे।

(2) शैक्षणिक योग्यता:

- (a) सभी विवरण आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- (b) 1 जनवरी 2018 तक या इससे पहले, आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (c) मैट्रिक्यूलेशन और ग्रेजुएशन शैक्षणिक विवरण अनिवार्य है। यदि आप स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) हैं तो इस विवरण को भी भरें।

(3) पते का विवरण:

- (a) अपना स्थायी पता और पत्राचार पता भरें। महिला आवेदिका यदि विवाहित हैं तो उनका स्थायी पता वही होगा जो उनके पति का स्थायी पता है।
- (b) पत्राचार पते का उपयोग पत्राचार के लिए किया जाएगा और BPSSC नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्राचार इसी पते पे भेजेगा।

(4) आपराधिक मामलों की घोषणा:

- (a) जो भी लागू हो, आवेदक को “हाँ” या “नहीं” के बीच चुनना होगा।
- (b) यदि आपने “हाँ” का चयन किया है, तो उस से संबंधित विवरणों का उत्तर तदनुसार देना होगा।

(5) फोटो और हस्ताक्षर अपलोड:

- (a) अपना रंगीन पासपोर्ट साइज (3.5cm x 4.5 cm) फोटो अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)
- (b) हिंदी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)।
- (c) अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25 केबी से कम)।

नोट: प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद, विवरण का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अंतिम रूप में “आवेदन-पत्र” सबमिट करने से पहले, आवेदक “Edit details” बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि और सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर एक पुष्टिकरण सन्देश प्राप्त होगा। सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को अंतिम रूप में लिया जायेगा, और BPSSC आवेदन-पत्र में किसी और बदलाव की अनुमति नहीं देगा। इसमें कोई एडिट सुविधा नहीं है, इसलिए आवेदक विवरण भरते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि सारे विवरण संबंधित प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के ही अनुरूप हों। BPSSC उम्मीदवार द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए या फिर अंतिम क्षणों में फॉर्म भरने में की गयी किसी भी गलती के लिए ना तो उत्तरदायी है और ना ही जिम्मेदार है।

(6) आवेदन-पत्र रद्दीकरण:

- (a) यदि आपने गलत विवरण के साथ आवेदन सबमिट किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक आवेदन-पत्र को रद्द कर सकता है और वह

आवेदन-पत्र को फिर से भर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।

(b) आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए दिशानिर्देश:

(i) आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (<https://apply-bpssc.com>) और 'View Application Status' बटन पर क्लिक करें।

(ii) अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें।

(iii) 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Application form' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Application form' बटन पर क्लिक करना होगा।

(iv) क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।

(v) आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(vi) रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें आवेदन-पत्र रद्दीकरण का उल्लेख होगा।

(c) आवेदन-पत्र रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल क्रमांक मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल क्रमांक के प्रयोग से एक नया आवेदन-पत्र भर सके।

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के नीचे दी गई घोषणा के सामने बनाये गये चेक बॉक्स में सही (✓) का निशान लगाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक-01.01.2018 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन-पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

आवेदन-पत्र में यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के आवेदक स्वयं को पिछड़ा वर्ग (BC) या पिछड़ा वर्ग (BC) के आवेदक स्वयं को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति (SC) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जाति (SC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-30.06.2018 (शनिवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों के जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश-पत्र उनके ई-मेल पर निर्गत किया जायेगा । लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विधिवत सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय दी जायेगी ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना ।